न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिकी 42/2016
पंजीयन दिनांक 03.02.2016

(1). देऊ पत्नी गोपी जाति गाडरी निवासी ऐरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-अपीलांट

बनाम

(1). भगवानी पत्नी गिरधारी जाति गाडरी निवासी ऐरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(2). हीरू पत्नी गिरधारी जाति गाडरी निवासी ऐरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(3). देऊ पत्नी नन्दलाल जाति गाडरी निवासी ऐरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(4). सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
(5). शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंकशाखा सदर बाजार चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(6). शाखा प्रबन्धक चित्तौड़गढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक, शाखा सदर बाजार चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(7). कालू पिता देवा जाति गाडरी निवासी ऐरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
(8). रमेश पिता कालू जाति गाडरी निवासी ऐरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार
प्रकरण संख्या 50/2015 निर्णय एवं डिकी दिनांक 12.12.2015

उपस्थित वक्त बहस-(1). नरेन्द्र कुमार नाहर-अधिवक्ता अपीलांट
(2). रतनलाल जाट-अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1,7,8
(3). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

निर्णय

दिनांक 07.07.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादिया अपीलांट ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया कि मौजा ऐरा पठार हल्का बोलों का सावंता तहसील गंगरार की आराजी संख्या 259, 260, 261, 389, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401 कुल किता 11 कुल रकबा 5.84 हैक्टेयर होकर वादीया अपीलांट एवं प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज रेकॉर्ड है जिसमें वादीया अपीलांट का 1/4 हक हिस्सा व प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/2 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का 1/4 हक हिस्सा खातेदारी में दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित संयुक्त खातेदारी की आराजीयात का वादीया अपीलांट व प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 3 के मध्य उनके उक्त वर्णित हक हिस्से अनुसार विधिवत वाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाने का निवेदन किया साथ ही प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात में स्वयं के खातेदारी में दर्ज हिस्से को दीगर को हस्तांतरित नहीं करे, साथ ही प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्से को बिना विभाजन कब्जे में न आवे, उक्त आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1,7,8 की ओर से वादपत्र को निरस्त किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया जिसे दिनांक 12.12.2015 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर वादीया अपीलांट का वादपत्र चलने योग्य नहीं होना बताकर खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री डिक्री की गई।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायायल द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांट वादिया ने यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्गण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट वादिया ने अपील मेमो यह तथ्य अंकित किये कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायलय द्वारा बिना किसी आधार के, दस्तावेजों व रेकॉर्ड का अवलोकन किये बिना अपीलांट वादिया का वाद आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के अन्तर्गत चलने योग्य नहीं होना मानकर निर्णय व डिक्री पारित किया जाना विधी

न नहीं है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 का नाम राजस्व रेकॉर्ड में नहीं होने से उन्हे उक्त बंटवाड़े के वाद में पक्षकार नहीं बनाया जाना मानकर प्रतिवादी संख्या 1, 7 व 8 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार कर अपीलांट वादिया का वादपत्र खारिज किया गया जबकि बंटवाड़े एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में अजनबी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार से कोई भय कारित किये जाने की सभांवना होने पर पक्षकार बनाये जाने पर विधि अनुसार कोई रोक नहीं है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित नहीं होने से निरस्त योग्य है। साथ ही यह भी तथ्य अंकित किये कि प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा पूर्व में बंटवाड़े का वाद प्रस्तुत किया गया जिसे प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अपने स्तर पर विड्रो कर लिया गया जिसको आधार मानते हुए अपीलांट वादिया का वादपत्र रेसज्युडिकेटा से बाधित होना मानते हुए निरस्त किया गया जो न्यायोचित नहीं है। अतः अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2015 विधी सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट वादिया स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के संबंध में पूर्व में प्रस्तुत बंटवाड़े के वादपत्र को विड्रो किया गया जिससे रेसज्युडिकेटा अपीलांट वादीया के ऊपर लागू नहीं होता है फिर भी रेसज्युडिकेटा के आधार पर अपीलांट वादिया का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा, प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 7 व 8 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के आधार पर निरस्त किया गया जो कि न्यायोचित नहीं होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2015 निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 7 व 8 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने की प्रार्थना की।

हमने विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने निवेदन किया कि बंटवाड़े के वाद में केवल हिस्सेदार को ही पक्षकार बनाया जा सकता है परन्तु अपीलांट वादिया द्वारा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रकरण में प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 को भी पक्षकार बनाया गया जो कि वादग्रस्त आराजीयात के हिस्सेदार खातेदार नही है, साथ ही उक्त वर्णित सम्पूर्ण

उक्त आराजीयात के हिस्सेदार खातेदार नही है, साथ ही उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के संबंध मे पूर्व में वाद संख्या 3/2014 बाबत बंटवाढ़ा व स्थायी निषेधाज्ञा का दिनांक 10.06.2016 को विद्रो किया जाकर निर्णित हो चुका है। उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलांट वादिया पर रेसज्युडिकेटा लागू होने के कारण प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 7 व 8 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर अपीलांट वादीया का वादपत्र खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत होने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2015 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में अपीलांट वादिया द्वारा बंटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 को पक्षकार कायम करते हुए प्रतिवादी संख्या 7 व 8 द्वारा वादीया अपीलांट की उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात में दखलंदाजी नहीं किये जाने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने की दाद चाही गयी है, प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के खातेदार व हिस्सेदार नहीं होने से अपीलांट वादिया द्वारा प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 के विरूद्ध बंटवाड़े की दाद नहीं चाहते स्थायी निषेधाज्ञा की दाद चाही है। प्रतिवादी संख्या 1 के उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात में निहित हिस्से को प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 बंटवाड़े से पूर्व दीगर को अन्तरित कराने को आमादा होना बताया जाकर वादिया अपीलांट द्वारा प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 को प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना विधी सम्मत था परन्तु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादिया अपीलांट द्वारा प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 को पक्षकार बनाया जाना कानून सम्मत नहीं होना मानते हुए वादीया अपीलांट का वादपत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के तहत खारिज करने का निर्णय पारित कर दिया जो कि न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ठ है कि उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के बंटवाड़े व स्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में पूर्व में वाद संख्या 3/2014 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया जिसमें अपीलांट वादिया को प्रतिवादी संख्या 2 के रूप मे पक्षकार कायम किया गया। उक्त वाद संख्या 3/2014 गुणावगुण पर निर्णित नहीं होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा विद्रो किया गया, जिससे अपीलांट वादिया के न्याय से वंचित रहने के कारण अपीलांट

...ा द्वारा वाद संख्या 50/2015 बाबत बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना विधी सम्मत होने के बावजूद अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट वादिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को रेसज्युडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित होना मानते हुए आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के तहत खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया गया, जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट वादिया स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगरार प्रकरण संख्या 50/2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण का जवाबदावा प्रस्तुत होने पर तनकीयात कायम की जाकर उभय पक्षकारान की साक्ष्य सबूत लिवायी जाकर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की पालना करते हुए तनकीवार अजसरे नवनिर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)